भारतीय राजनीति में दलितो की सहभागिता

8

डा0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह*

आरम्भिक व्यवस्था के जब सामाज मे वर्ण व्यवस्था लागू कि गई कर्म के आधार पर सम्मान और सामाजिक क्रम प्रदान किये गये। उस समय भी पूजा अर्चना हवन आदि का कार्य ब्राह्मण ही किया करते थे तो इसी वर्ग को श्रेष्ठ माना गया और वर्ग व्यवस्था और सामाजिक स्तर पर इसे प्रथम स्थान पर रखा गया। इसी प्रकार पूरे राज्य की रक्षा का भार जिन लोगों को सौंपा गया उन्हे क्षत्रिय कहकर दूसरा स्थान दे दिया गया अब जो लोग राज्य की सीमाओं और सीमाओं के बाहर व्यापार करते थे उस व्यापारी वर्ग को तीसरे स्थान पर रखा गया। अब इन सभी वर्गों के अलावा एक वर्ग उन लोगों का भी था जो इन सभी की सेवा करते थे। ऐसे सेवा करने वाले सभी लोगों को दास कहा जाता था और दास को एक वर्ग की संज्ञा दे दी गई तथा इसे सबसे नीचले पायदान पर रखा गया और चौथा वर्ग माना गया। और सामाजिक व्यवस्था मे इस वर्ग के कार्यों के आधार पर अछूत मान लिया गया।

प्रथम स्तंभ के रुप में पराजित अनार्यों के मौलिक अधिकारों का हनन और उनकी संर्घषशील भावनाओं की पुनवृति का दमन करना था। आर्यों का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो अनार्यों का अतित उजागर कर सकती है। इसीलिए शिक्षा विहिन अनार्य समाज की अनिवार्यता और इनकी खुद के संस्कारों से विरक्तता एवं अर्थहिन अवस्था में जीवन व्यतित करने की पात्रता वेदों पुराणों तथा धार्मिक ग्रन्थों के प्रमुख अध्याय के रुप में उल्लेखित करने लगे।[1]

जब आर्य और अनार्य युद्धो के आरम्भ में आर्यों ने भारत के अनार्यों को पराजित किया उस समय युद्ध के अलावा भी आर्यों ने यह नीति अपनाई कि यदि आर्यों मे उनकी संघर्ष करने की भावना और अधिकारों को पुनः पाने की कामना जाग्रत होती है तब वह अपने अधिाकारों के लिए संघर्ष आरम्भ कर देगें इस लिए इनकी संघर्ष करने की इच्छा को समाप्त करना अति आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक था। शिक्षा को अनार्यों से दूर रखना क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो किसी भी वर्ग को उसके अधिकारों के प्रति जागृत कर सकता है, इसलिए आर्यों के द्वारा अनार्यों को सामाजिक स्तर पर शिक्षाहीन और अर्थ हीन करने हेतू शिक्षा की अनिवार्यता अथवा शिक्षा ग्रहण करने को अनार्यो के लिए पुराणो और वेदों के प्रमुख अध्यायो के माध्यम से ही प्रतिबन्धित कर दिया गया। वेद पुराणों आदि मे कहा गया की अनार्यों को शिक्षा से और धन संचित करने से दूर ही रखा जाये।

जिस प्रकार आधुनिक समय मे मानव जाति के लिए शासन व्यवस्था और आधार संहिता को लिखित रुप में सामाजिक मान्यता मिली है। जिसका स्वरुप धार्मिक न होकर स्वेच्छा स्वरुप है। उसे ''संविधान'' कहा जाता है। उसी प्रकार तत्कालिन समय में भी

* *एम0ए0, पी–एच0डी0 (राजनीति विज्ञान)*

प्रशासनीक व्यवस्थात्मक विधान को स्मृति कहा जाता था जिसके माध्यम से धर्मरक्षा और कर्मदण्ड को निरन्तर किया जाता था।

मनुस्मृति में ब्राह्मण समाज के सर्व हितों के सुरक्षात्मक विधानों का निरुपण था इसलिए मनुस्मृति ब्राह्मण समाज के लिए प्रारम्भिक आरक्षण व्यवस्था पर आधारित सवैधानिक रचना थी।

मनुस्मृति के अनुसार शूद्र वर्ग के समाजिक जीवन को पूर्ण रुप से नकार दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के आदेश की अवज्ञा अवहेलना या उल्लघन करने पर मनुस्मृति दण्ड सहिंता (दण्ड विधान) के अनुसार शूद्र को अति क्रूर, घृणास्पद और अमानवीय दण्ड देने का प्रावधान था।

शूद्रो के लिए किसी को उपदेश देना, धार्मिक कार्यक्रमो में उसकी उपस्थित और ध ार्मिक प्रवचन सुनने को दण्डनीय अपराध माना गया था। जिसके लिए राजा उसके कान व मुह मे गर्म तेल डालकर शूद्र को सजा देते थे **(मुनस्मृति 8275)।**

मनुस्मृति विधा के अनुसार शूद्र यदि ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय वर्ण को किसी भी प्रकार के अपशब्दों द्वारा अपमानित करे तेा राजाज्ञा जारी करके उसकी जिव्हा काट दिया जाये **(मनुस्मृति 8270)।**

शूद्र अर्थसंचय ना करें। ब्राह्मण समाज के लिए किसी भी प्रकार के विद्रोहपूर्ण भाषा का उपयोग करने पर दस अंगूल लौह धातू की लाल कड़क गरम छड़ को उसके मुख मे डाला जाये (मनुस्मृति 8129)।

शूद्र को ब्राह्मण अधिकृत चिन्हो का प्रयोग करने पर राजाज्ञा द्वारा उसे दण्डित करने का प्रावधान था (मनुस्मृति 9224)।

ब्राह्मणो के नाम मंगलवाचक, क्षेत्रियों के नाम शक्तिवाचक, वैश्यों के नाम अर्थवाचक और शूद्रों के नाम घृणावाचक रखे जाये (मनुस्मृति 2–30)।

मनुस्मृति की विधाओं के अनुसार शूद्रों को शिक्षा और अर्थ से वंचित होने का परिणाम यह हुआ कि शूद्रों को आत्मविश्वास स्वाभिमान और आत्मसम्मान के बिना अत्यंत नरकीय और अमानुविक जीवन व्यतित करना पड़ा हजारो वर्षों से निरन्तर पशुवत जीवन व्यतीत करने के लिए शूद्रों को लाचार और बेवश कर दिया गया था।[2]

शूद्रों के इस वर्ग को सामाजिक स्तर पर बिल्कुल नकार दिया गया था। अब केवल इनसे ऊपर के वर्ग ही सम्मान पाने योग्य माने जाते थे और इस नियति को बनाये रखने के लिए मनु नामक एक विद्धान के द्वारा नियमावली तैयार की गई जिसके अनुसार उपयुक्त सभी नियम बनाये गये थे।

शूद्रों के लिए मनुस्मृति के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई उपदेश किसी को भी देना पूर्णतः प्रतिबन्धित था, शूद्रों के लिए किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करना मना किया गया था, नियम बनाया गया कि यदि किसी शूद्र को कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते पाया जाता है या वह कही उपस्थित होकर प्रबचन सुनता है तो उसे अपराध की श्रेणी मे रखकर

राजा के द्वारा उसके कान व मुंह मे गर्म तेल डलवा कर उसे उसके इस अपराध का दण्ड देना सुनिश्चित किया गया था।

शूद्र के लिए अनिवार्यता थी की वह ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय को देखते ही उसका सम्मान करेगा और उसे सदैव सम्मान जनक शब्दों से सम्बोधित करेगा। यदि उस पर अत्याचार भी हो तो भी वह इन वर्गो के लिए अपशब्दों का प्रयोग नही कर सकता था और यदि उसके द्वारा इन वर्गो के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो राजाज्ञा के द्वारा उसकी जिव्हा काट कर उसे दण्ड दिया जा सकता था।

मनुस्मृति मे ही यह भी सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का संचरण करना शूद्र वर्ण के लिए प्रतिबन्धित था। धन का संचय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही कर सकते थे, इनके अलावा कोई अन्य नही कर सकता था और यदि शूद्र कभी किसी प्रकार का धन संचित करता था तो उसके मुंह मे लोहे की छड को गर्म करके डाला जाता था जो उसके अपराध के दण्ड का परिणाम स्वरुप था।

इस प्रकार की राजाज्ञा को घोषित किया गया था कि जो प्रतिक चिन्ह ब्राह्मणों के लिए अधिकृत है उनका प्रयोग करना भी शूद्रों के लिए दण्ड का कारण था।

शूद्र वर्गों के नाम भी सदैव अपमान जनक शब्दों में ही रखे जाये और वह कोई भी ऐसा नाम ना रखे जिसके अर्थ में सम्मान जनक शब्दों का प्रयोग होता हो। मनुस्मृति मे यह भी नियमबध लिखा गया था।

कॉंग्रेस, भारत के लोगों से दलित वर्ग पर थोपे गये सभी प्राकर के प्रतिबंधो को दूर करने की आवश्यकता न्याय के औचित्य का आवाहन करती है क्योकि इन वर्गो पर भयावह और अमानुषिक प्रतिबंध सर्वाधिक कष्टकर और दमनकारी था।

कॉंग्रेस प्रमुख के रुप मे गाँधी जी का राजनीतिक सफर 1919 मे आरम्भ हुआ था अधिकारों के लिए दलितों का संघर्ष तथा हिन्दूओं और दलितो के बीच बढते अन्तदर्द को गाँधी भली भांती समझ चुके थे और इसीलिये दलित नेतृत्व को अमिट करने की पूरी जिम्मेदारी को अपने नेतृत्व का हिस्सा मान लिया था।

दलितों के राजनैतिक और समाजिक अधिकारों को सीमित एवं निष्प्रभावी करने के लिए गाँधीजी द्वारा मार्ग दर्शित कॉंग्रेस तरह–तरह के षडयन्त्रों का प्रयोग कर रही थी। जातिवाद मे विश्वास रखने वाले हिन्दू कट्टरवादी तत्व गाँधी जी को अपने राष्ट्रनायक के रुप मे प्रतिष्ठित कर चुके थे। गाँधी जी की जिम्मेदारियाँ विस्तृत और दोहरी हो चुकी थी। अग्रेंजों से सत्ता हस्तान्तरण और दलितो को उनके अधिकारों से वचिंत करना।

राजनैतिक क्षितिज पर दलितो के मसीहा के रुप मे डा0 भीमराव अम्बेडकर का अवतरण हो चुका था। डा0 अम्बेडकर हजारो वर्षों से चली आ रही दलितों की सामाजिक स्थिति और अपने शैक्षिक काल से लेकर महानायक के रुप मे प्रतिष्ठित होने तक को बंधनकारी व्यवस्था को समूल नष्ट करने का संकल्प ले चुके थे।

डा0 अम्बेडकर की दलितो के प्रति समर्पित संघर्ष की भावना उन्हे मसिहा के रुप

मे निर्विवाद स्थापित कर चुकी थी और उसमे किसी तरह की आंशंका या गुंजाइस नही बची थी। गाँधी जी और कॉंग्रेस इन बातों को भली भाँती समझ रहे थे। गाँधीजी का यह भ्रम भी टूट गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों में नेतृत्व का आभाव है। डा0 अम्बेडकर को दलितों मे संघर्ष की मसाल प्रज्जवलित करने मे सफलता मिलती जा रही थी। जहाँ गाँधी जी और कॉंग्रेस स्वराज्य स्थापना के लिए अग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष को नया रुप देने मे लगे थे वही डा0 अम्बेडकर स्वाधिन राज्यों मे दलितों के मौलिक अधिकारो की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे।

अम्बेडकर के तर्को से प्रभावित ब्रिटिश शासन ने गोलमेज परिषद के अयोजन मे दोनो पक्षों के प्रतिनिधियों को सम्मलित होने का निमन्त्रण दिया।

12 नबम्बर 1930 को गोलमेज परिषद का आयोजन आरम्भ हुआ जिसका उद्घाटन सम्राट जार्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज मेकडोनाल ने की थी। स्वाधीन भारत के भावी संविधान में दलित वर्गो के राजनैतिक अधिकारों के संरक्षण की एक योजना, भारतीय गोलमेज परिषद में प्रस्तुत की गई जिसकी शर्ते स्वाधीन भारत में बहुमत के शासन के अधीन दलित वर्गों को रहने के लिए निम्न प्रकार होगी।

दलित वर्ग वर्तमान वंशानुगत दासता की स्थिति मे रहते हुए। स्वयं को बहुमत के शासन के अधिन शासित होने की सहमती नही दे सकते।

(अ) बहुमत के शासन की स्थापना से पूर्व छुआछूत की व्यवस्था से उनकी मुक्ति होना आवश्यक है। इन्हे बहुसंख्यको की मर्जी पर नही छोड़ना चाहिए।

(ब) दलित वर्ग को स्वतंत्र नागरिक बनाना आवश्यक है और राज्य के अन्य नागरिको की भाँति उन्हे भी नागरिकता के सभी अधिकारों का हक होना चाहिए।

(स) छुआछूत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और नागरिकता में समानता पैदा करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि निम्न मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाया जाए।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही डा0 अम्बेडकर दलितो के सामाजिक एवं राजनैतिक हितों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत थे।

सदियों पहले वर्ण व्यवस्था वर्ग चरित्र के रुप में विकसित हुई थी। जिन्हें ब्राह्मण स्मृतिकारों ने विकसित समाज व्यवस्था के अंतर्गत जातियता के ढाचे में ढाल दिया। दूसरे अर्थ में श्रम विभाजन को कठोर और भयावह बना दिया गया।

डा0 अम्बेडकर का यह कथन सार्थक है कि –

''यह समझ लेना उचित होगा की अन्य समाजों की भाँति हिन्दू समाज भी वर्गो द्वारा गठित हुआ था। आरम्भ के सुविदित वर्ग ये (1) ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग (2) क्षत्रिय या सैनिक वर्ग (3) वैश्य या व्यवसायी वर्ग (4) शूद्र या शिल्पकार अथवा सेवक वर्ग। इस तथ्य की और खास ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मूलतः वर्ग व्यवस्था थी। इसमें योग्यता प्राप्त करने पर व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे, मूलतः वर्गो के क्रम में परिवर्तन हो जाया करता था। हिन्दू

इतिहास काल के किसी अवसर पर पुरोहित वर्ग ने (हिन्दू) संस्था के अन्य जनों से अपने को समाजिक रुप से विलय कर लिया और संवृत (घेरे में बन्द करना) नीति अपना कर स्वयं को एक जाति के रुप में स्थापित कर लिया। समाजिक श्रम विभाजन की मान्यता के फलस्वरुप अन्य विभेदीकरण उत्पन्न हो गया। जिससे कुछ बडे वर्ग और कुछ छोटे ग्रुपों में बट गये। वैश्य और शूद्र वर्ग मौलिक रुप में अविकसित जीवाणु जैसे थे जो वर्तमान में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों के निर्माता तत्व बने। क्योकि सैनिक पेशे के लोग अति सफलतापूर्वक छोटे–छोटे उपभागों मे विभाजित नही हो पाते है मूलतः वह सैनिक और प्रशासकों के रुप मे बदल गये होगें।

निसन्देह वैदिक काल में वर्ण और आगे चलकर जाति प्रथा का प्रचलन हुआ। इसी युग के किसी अनजान काल खण्ड में समाजिक परिस्थितियों वश शूद्र, शिल्पकार या सेवक वर्ग बना जो स्पृश्य एवं अस्दृश्य दोनो प्रकार के थे। ये समाज के नीचले स्तर के लोग थे। आर्य शब्दावली में आरम्भ में वात्स, असुर पवन मलेच्छ जैसी जातियां अस्तित्व में आयी। कालांतर में जिन्हे टूटे या भंग लोगों (ब्रोकन मैन) के रुप में जाना गया। पहले समाजिक ढाँचा परिवर्तनशील और लचीला था। बाद में यह सुगठित और कठोर होता चला गया। कमाऊ शिल्पी, दक्ष कुम्भकार आदि निवासी धर्मशालों में अस्दृश्य, निम्नमर्गीय और दलित बना दिये गये।

त्रिवर्ण से चतुवर्ग समाजिक व्यवस्था के निर्माण में कई शताब्दीयाँ लगी इसमे समाजिक परिवर्तन सामाजिक विघटन, कबिलों और जातियों का पराजय शिल्प और धार्मिक मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

''जातियों के उद्भव और विकास की इस प्रक्रिया में समाज स्वतः ही विभाजित होता गया। समाज मे उपविभाजन होना बड़ा स्वाभाविक कार्य है। लेकिन ऐसे उपविभाजन में अस्वभाविक बात यह हुई कि उन्होने वर्ग–व्यवस्था का खुला चरित्र खो दिया और अपने को आत्म संवृत (घेरे में बन्द) यूनिटों अर्थात जातियों में बाँट दिया या बदल लिया। इसमे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उन्हें दूसरों के लिए अपने द्वार बन्द करने या संकृत होने पर मजबूर किया गया था अथवा फिर उन्होने स्वयं ही ऐसा तरिका अपनाना स्वीकार किया था ? लेखक का कहना है कि इसका दोहरा उत्तर है– कुछ ने तो स्वयं अपना दरवाजा बन्द कर लिया था और कुछ ने पाया की दूसरों ने उनके लिए अपना दरवाजा बन्द कर लिया था। इसमे एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है और दूसरी (समाज की यांत्रिक व्याख्या है। लेकिन ये एक दूसरे की पूरक है और जाति रचना की धखना को समझने हेतू दोनो आवश्यक है)

डा0 अम्बेडकर ने आगे लिखा –

''मनोवैज्ञानिक व्याख्या के बारे में कुछ कहूंगा। इस सम्बन्ध में जिसका उत्तर देना है वह प्रश्न है कि ये औद्योगिक, धार्मिक या कोई अन्य उपविभाजन आप चाहें तो इन्हे वर्ग कह ले आत्मसंकृत या अंतर्विवाही क्यों बन गये ? मेरा उत्तर है कि ब्राह्मण ऐसे ही थे। अंतर्विवाही या संकृत नीति हिन्दू समाज में प्रचलित थी और क्योकि यह ब्राह्मणों से आरम्भ हुआ था तो

गैर ब्राह्मण उपविभाजित जातियों ने इसकी नकल की और वह अंतर्विवाही बन गये। विभागीकरण की हावी दौड के दौरान अनुकरण का संक्रामक रोग उपविभजितो पर छा गया और उसने इन्हें जातियों में बदल दिया। अनुकरण की प्रवृति मनुष्य के मस्तिष्क मे बहुत गहराई से छाई है और इसे भारत में जातियों के निर्माण का अपर्याप्त कारण नही समझा जाना चाहियें।

इस प्रकार जातिभेद से अस्पृश्य और दलितो का एक बहुत बडा भाग दास वर्ग बन गया है। यह कहना सच नही लगता की दासो, दलितों का कोई क्रमबद्ध इतिहास नही मिलता प्राचीन काल में जो भी साक्ष्य मिले है श्रेष्य ग्रन्थ उपलब्ध है ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत है उनमें दास दलित अछूतों का वर्णन अवृय मिलता है। दलित समाज की यही ऐतिहासिक पृष्ट भूमि है। जिसका धार्मिक ग्रन्थों में उल्लेख आया है।[3]

स्वतन्त्र भारत का संविधान निर्माण का कार्य भारत की संविधान सभा के माध्यम से कराया गया। चूँकि डा0 अम्बेडकर 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटिस सरकार के समक्ष भारत के दलितों के हितो को समानता प्रदान करने के लिये अपना सुझाव प्रस्तुत कर चुके थे। डा0 अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया था तो उन्होने दलितों के सामाजिक और राजनैतिक हितो को भारत के संविधान में शमिल किया और राजनैतिक रूप से दलितो की हिस्सेदारी को सुरक्षित कर दिया। भारतीय संविधान के अनुसार निकाय पंचायतों राज्यो की विधानसभा व लोकसभा में दलित वर्गों के लिये सीट आरक्षित रखने का प्रावधान है ताकि भारत की शासन व्यवस्था में और भारतीय राजनीति में दलित वर्गो की उचित सहभागिता बनी रहे।

1. ''प्रत्येक पंचायत मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियो के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे। और इस प्रकार आरक्षित स्थानो की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल संख्या से यथावत वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियो की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियो की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रो को चक्रानुसार से आवन्टित किया जा सकेगा।

2. खण्ड एक के अधीन आरक्षित स्थानो की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियो की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगे।

3. ग्राम या किसी स्तर पर पंचायतो के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियो के लिए और स्त्रियो के लिए एसी रीति से आरक्षित रहेगे जो राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उपबन्धित करे।[4]

लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेगें।

राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेगें।

किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उन विधान सभा स्थानो की कुल संख्या से यथावत वही होगें जो यथास्थिति उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उसके भाग की अनुसूचित जनजतियों की जिसके सम्बन्ध मे स्थान इस प्रकार आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।[5]

उपरोक्त अनुच्छेदों के अध्ययन से शोधार्थी को यह लगता है कि भारत में दलित राजनीति को मजबूत आधार देने में भारतीय संविधान में एस.सी./एस.टी. के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था से ही भारत के प्रत्येक राज्य के विधान मण्डलों में और भारत की लोक सभा में दलित वर्ग के लोग राजनीति में सहभागी बन रहे हैं। बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के संघर्ष का ही परिणाम है कि संविधान में दलितो के लिए राजनैतिक सहभागिता का रास्ता स्पष्ट कर दिया है। भारत की राजनीति में दलितों की सहभागिता के लिए अनेक दलित महापुरुषों ने संघर्ष किया, डा0 अम्बेडकर एक प्रमुख नाम है।

पूरे भारत में अनेकों नाम ऐसे है जो दलित समाज की सेवा में लगे रहे और दलित राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे अनेको नेताओं के नाम गिनाऐ जा सकते है जो अधीन भारत में और इसके बाद भी समाज की प्रगति के लिए जागरुक रहे। जिन्होने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया अथवा डा0 अम्बेडकर के साथ कार्य किया, अथवा स्वतत्र रुप से दलितों में समाज सेवा का कार्य किया। इनमे तिलकंचन्द कुरील (कानपुर), रामलाल कमल बंशी (कानपुर) डा0 मनिक चंद जाटव वीर (आगरा) डा0 धर्मप्रकाश (बरेली) चौ0 बिहारी लाल (बिजनौर) रामप्रसाद श्याम (गढ़वाल) आदी नाम प्रमुख है।

आरक्षित सीटों पर जब लोग सांसद ओर विधान सभा सदस्य बने तो दलित जातियों में जागरुकता चेतना और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की भावना का उदय होना स्वाभाविक था। शिक्षा के क्षेत्र मे उत्तरोत्तर प्रगति ने उनकी मुक्ति और प्रगति के द्वार प्रशस्त किये। संसद सदस्य और विधायक मंत्री या नौकरशाह जैसी अनेक हस्तियाँ दलित समाज मे मौजूद है। ये स्वतत्रता और प्रजातन्त्र के अलादीनी चिराग से पैदा हुए हैं अथवा बिना किसी संघर्ष के राजनीति के झूले पर चढ़ कर या प्रतियोगिता के द्वारा ऊचाईयो पर पहुँचे है।

भारत के संविधान में मिले राजनैतिक आरक्षण के आधार पर दलित समाज की सहभागिता आज भारत की संसद और प्रत्येक राज्य विधान सभा में उचित है। इसके अलावा भी अनेको नाम ऐसे है जो भारत की राजनीति में संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, मन्त्री बनकर राजनीति में दलितो की सहभागिता को प्रकट करते रहे है। इसमे यदि कुछ प्रमुख नाम देखे जाये तो इस प्रकार देख सकते है।

बलदेव सिंह आर्य गढवाल निवासी कोली जाति में जन्में आर्य उत्तरांचल के प्रमुख शिक्षा विद, समाज सुधारक थे। वे 1930 के आसपास राष्ट्रीय आन्दोलन से जुडे और कॉग्रेस के कार्यकर्ता बन गये थे। 1950 मे आर्य लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। पहली बार 1952

मे उ0प्र0 विधान सभा सदस्य चुने गयें। वे क्रमशः ससदीय सचिव, उपमन्त्री और केबिनेट मन्त्री बने लगभग तीन दशक तक उ0प्र0 के दलितों की सेवा करते रहे।

मंत्री मण्डल मे रहते हुए भी वह वर्षो तक हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय हाथकरथा बुनकर काँग्रेस एवं हाथकरथा बुनकर काँग्रेस के क्रमशः उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय हरिजन लीग के कार्यकारी अध्यक्ष रहे।[6]

आजादी के समय से आज तक अनेको नाम ऐसे रहे है जो भारतीय राजनीति मे दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। डा0 अम्बेडकर के द्वारा संविधान में दलित वर्गों के लिए राजनीति में भी आरक्षण की व्यवस्था की है जिससे संसद में और देश की सभी विधान सभाओं में दलितों को प्रयाप्त सहभागिता का मौका मिलता है।

डा0 अम्बेडकर भारत के दलितों के समाजिक और राजनीतिक स्तर पर मसिहा के रुप में जाने जाते है। दलित वर्गो के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही अपने साथियों की सलाह से अगस्त 1936 मे इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस राजनीतिक संस्था ने दलित वर्ग, मजदूरों व किसानों की अनेक समस्यांओं को लेकर कार्य आरम्भ किया। बम्बई के इस पार्टी ने सन् 1937 में चुनाव लडा इसने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 मे से 13 सीटे जीति और 2 सामान्य स्थानों पर भी विजय प्राप्त की थी। बम्बई विधान सभा सदस्य के रुप में डा0 अम्बेडकर ने किरायदारी कानून, एन्टी स्ट्राइक बिल और खोटी बिल की आलोचना की उन्होने इस बात पर जोर दिया की मजदूरों को सत्याग्रह का अधिकार होना चाहिए।

1 जुलाई 1942 को वायसरॉय लार्ड लिनलियगो ने लार्ड एमरी को एक निजी और अल्प आवश्यक टेलीग्राम में इस बात की पुष्टि की कि अगली विज्ञप्ति में ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृत वायसराँय की कार्यकारिणी मे सदस्यों की नियुक्ति घोषित करेंगे। इस टेलीग्राम में अन्य सदस्यों के साथ डा0 अम्बेडकर का भी नाम था। जुलाई को वायसरॉय ने उन्हे श्रम विभाग का सदस्य बनाया जाने की घोषणा की। उन्होने टेलीग्राफिक सन्देश भेजकर 20 जुलाई 1942 को अपना कार्यभार ग्रहण किया और सहमति पहले ही भेज दी थी। उनके विचार में यह दलित आन्दोलन का स्वर्णिम दिन था जब दलित सत्ता में आये।[7]

डा0 अम्बेडकर को स्वतन्त्र भारत का प्रथम कानून मन्त्री नियुक्त किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने 30 जून 1947 को बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खरे को पत्र लिखा कि संविधान सभा के लिए डा0 अम्बेडकर को निर्वाचित कराये ताकि 14 जुलाई 1947 से शुरु होने वाले अधिवेशन में वे निर्वाचित होकर संविधान संरचना में योगदान दे सकें दलित इतिहास का स्वर्णिम काल तब आया जब प्रारुप समिति ने 30 अगस्त 1947 को उन्हे (डा0 अम्बेडकर) को इसका अध्यक्ष चुना।[8]

डा0 अम्बेडकर के साथ ही साथ अनेको नाम ऐसे रहे नाम रहे हैं जिन्होने दलित वर्गो के लिए कार्य किया है। इन्ही मे से एक नाम बाबू जगजीवन राम का है।

बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू है। इन्ही में से एक संसदीय लोकतन्त्र के विकास मे उनका योगदान का है। 28 वर्ष की आयु में उन्हे 1936 मे बिहार विधान परिषद

का सदस्य नामांकित किया गया था। जब गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 के तहत 1937 मे चुनाव हुए तो बाबू जगजीवन राम डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रुप मे निर्विरोध एम. एल.ए चुने गये थे। बिहार की उस सरकार मे जगजीवन राम मन्त्री पद पर रहे। 1946 की भारत की अन्तरिम सरकार मे जगजीवन राम को श्रम मन्त्री बनाया गया था।

भारत की संसद को जगजीवन राम अपना दूसरा घर मानते थे। मन्त्री के रुप में उन्हे जब भी जो भी काम मिला उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। 1952 में चुनाव के बाद नेहरु सरकार मे वह संचार मन्त्री रहे, उसके बाद जब इन्दिरा गाँधी ने प्रधान मन्त्री पद सम्भाला तब जगजीवन राम उनके साथ एक कुशल प्रशासक के रुप में रहे। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से लडाई हो चुकी थी। देश भूखमरी की कगार पर था। ऐसी स्थिति में डा0 नारयन भारत आये और हरित क्रांति का सुत्रपात किया जगजीवन राम उस समय कृषि मन्त्री थे।[9]

बाबू जगजीवन राम डा0 अम्बेडकर के ही समय के नेता थे और वह भी दलित वर्ग से ही थे। यह बिहार में पैदा हुए और वही पर सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन का आरम्भ किया। 30 वर्ष की आयु मे वह निविरोध चुनकर एम.एल.ए. बने थे। वह भारत कि अंतरिम सरकार में कॉंग्रेस की ओर से श्रम मन्त्री पद पर रहे। इसी दौरान उन्होने कुछ ऐसे कानून बनाये जो भारत के इतिहास में मजदूरो दलित वर्गों के हीतों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए। भारत की संसद में जगजीवन राम लम्बे समय तक सदस्य बने रहे। उन्हे 1952 में संचार मन्त्रालय में विमानन मन्त्रालय की शामिल था तो इस नाते वह विमानन मन्त्री भी थे। इस क्षेत्र में जगजीवन राम ने निजी विमानन कम्पनीयों का राष्ट्रीयकरण करके साराहनिय काम किया। जगजीवन राम भारत के रेल मन्त्री भी रहे थे। भारत के प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादूर शास्त्री की मृत्यु के बाद इन्दिरा गाँधी की सरकार में जगजीवन राम महत्वपूर्ण पदों पर रहे और भारत के कृषिमंत्री के पद को भी इस दलित नेता ने सूशोभित किया था। जगजीवन राम भारत के उपप्रधान मन्त्री बनने वाले प्रथम दलित नेता थे।

दलित वर्ग आज देष में बड़े स्तर पर राजनैतिक सहभागिता निभा रहा है। दलित वर्ग के लोग विधायक, सांसद मन्त्री पद के साथ ही देश के राष्ट्रपति पद पर रहे है।

के0 आर0 नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त कर चुके है। नारायणन ने इन्दिरा गाँधी के कहने पर ही राजनीति मे प्रवेश किया और वह तीन बार 1984, 1989, 1991 मे उत्तपलम पलकबाद केरला से सांसद चुने गये थे। वह राजीव गाँधी सरकार मे केन्द्रीय केबिनेट राज्य मन्त्री रहे थे। 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति और 1997 में वह कुल मतों का 95 प्रतिशत पा कर भारत के राष्ट्रपति चुने गये थे।[10]

कोचिरील रमन नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को पेरुमथानम ट्रावनकोर में हुआ और एक साधारण परिवार में लालन पालन के बाद ऊच्च शिक्षा हासिल की। के0आर0 नारायणन राजनीति में इन्दिरा गाँधी के कहने पर आये थे और जब वह राजनीति मे सक्रिय हुए तो इस दलित नेता का जादू सब के सर चढ कर बोला, वह उत्तपलम पलकबाद (केरला)

से लगातार तीन बार सांसद रहे। संसद के सदस्य रहते हुए वह केन्द्रीय केबिनेट मे राज्य मन्त्री के पद पर रहे। के0 आर0 नारायणन एक मात्र ऐसे दलित नेता रहे जिन्होने भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।

मीरा कुमार दलित समूदाय से ही है। वह पूर्व उप प्रधानमन्त्री जगजीवन राम की सुपुत्री हैं। मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई वे कई देशों में नियुक्त हुई और बेहतर प्रशासक साबित हुई। मीरा कुमार का राजनीति मे प्रवेश अस्सी के दशक में हुआ। वह 1985 में पहली बार बिजनौर से सांसद चुनी गई। 1990 में वे काँग्रेस पार्टी की कार्यकारिणि सदस्य और अखिल भारतीय काँग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गई। 1996 में वह दूसरी बार सांसद बनी और तीसरी पारी 1998 में शुरु की 2004 में वह बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट जीती। 2004 में यूनाईटेड प्रोगेसिव अलायन्स सरकार ने उन्हे समाजिक न्याय मन्त्रालय में मन्त्री बनाया। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर के पद पर है। जी.एम.सी. बालयोगी के बाद दूसरी दलित व पहली महिला लोकसभा स्पीकर है। वह इस पद पर 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी।[11]

दलित राजनीति में अनेंकों नेताओं के नाम जुडते रहे है उन्ही में से एक नाम रहा बाबू जगजीवन राम को जो देश के प्रथम दलित उपप्रधान मन्त्री रहे थे। जगजीवन राम के ही नाम पर अस्सी के दशक में उनकी पुत्री मीरा कुमार का राजनीति में पदार्पण हुआ और वह बिजनौर लोकसभा सीट से काँग्रेस पार्टी की सांसद बनी। मीरा कुमार राजनीति में आने से पहले भारतीय विदेश सेवा में रह कर कई देशों में नियुक्त रह चुकी है। 1996 में मीरा कुमार को दूसरी बार संसद सदस्य बनने का मौका मिला और 2004 में वह बिहार के सासाराम लोक सभा सीट से संसद पहुची। इस बार उन्हे सामाजिक न्याय मन्त्रालय में मन्त्री पद यू0पी0ए0 सरकार के द्वारा दिया गया। मीरा कुमार अपने राजनीतिक जीवन में सफलताओं को हासिल कर रही है। वह दलित वर्ग से ही है। मीरा कुमार ऐसी पहली महिला है। जिन्हे भारत की संसद मे लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।

रामविलास पासवान दलित राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है। वह 1969 में बिहार विधान सभा आरक्षित सीट पर संयुक्त समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। 1974 मे राजनायण और जयप्रकाश नारायण के अनुयायी बने और लोकदल के महासचिव बन गये। 1975 में वह आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हो गये। 1977 में वह जेल से छुट कर जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में चुने गये। वह नवीं लोक सभा में फिर से चुने गये 1980 और 1984 में वह हाजीपूर से सांसद रहे है।

1983 के पासवान ने दलित सेना का गठन किया। 1989 में वह नवीं लोक सभा में चुने गये और बी0पी0 सिंह सरकार में श्रम विकास मन्त्री रहे। वह भारत के केन्द्रीय कोयला मन्त्री और रेल मन्त्री भी रह चुके है। वर्तमान में पासवान राज्य सभा सांसद है और लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष है।[12]

शिबूसोरेन भारत की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। शिबू सौरेन झारखण्ड

मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है। झारखण्ड राज्य के मुख्यमन्त्री रहे है। और 2004 में मनमोहन सिंह सरकार मे कोयला मन्त्री भी रह चुके है।[13]

शिबू सोरेन भारत की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले दलित वर्ग के नेता है। सोरेन ने झारखण्ड को अलग पहचान दिलाने की सदैव कौशिश की है। वह झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहते उन्होने झारखण्ड के विकास के लिए कडा संघर्ष भी किया। दलित वर्ग की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाते हुए शिबू सोरेन झारखण्ड के मुख्यमन्त्री बने तो वहां के विकास के कार्य को नई ऊचाईया दी। शिबू सोरेन भारत सरकार में कैन्द्रीय केबिनेट मन्त्री रह चुके है।

भारत की राजनीति में आज हजारों नाम ऐसे है जो दलित वर्गो से सम्बन्ध रखते है और केन्द्रीय व राज्यों की राजनीति में सहभागिता कर रहे है। आज दलित समाज से जुडे लोग बडे से बडे राजनीतिक पदो पर रह चुके है।

दलित वर्ग से ही सम्बन्ध रखने वाले अजित जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमन्त्री रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके है। अजित जोगी 1986 से 1998 तक दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे हैं। 1998 में 12 वी लोकसभा में चुने गये। जब छत्तीसगढ राज्य बना तो 2000 से 2003 तक वहाँ के प्रथम मुख्यमन्त्री चुने गये 2004 से 2008 तक पूनः लोक सभा के सदस्य चुने गये। छत्तीसगढ मे वर्तमान में वह 2008 से मारवाही विधान सभा सीट से विधायक है और भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य है।[14]

G.M.C.Balafogi 1991 मे तेलगू देशम पार्टी के टिकट पर दसवीं लोक सभा के सदस्य चुने गये थे। 1996 में चुनाव हारने के बाद वह आंध्र प्रदेश में लगातार राजनीतिक कार्यों में लगे रहे और मुन्नीदीवारम विधान सभा से विधायक चुने गये आंध्र प्रदेश सरकार मे उच्च शिक्षा मन्त्री भी रहे। 1998 में बालयोगी फिर से लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 24 मार्च 1998 को लोक सभा के 12 वे स्पीकर और 22 अक्टूबर 1999 को 13 वें लोक सभा स्पीकर चुने गये थे।[15]

मायावती– मायावती ने 1977 से 1984 तक अध्यापन के साथ साथ कांशीराम द्वारा संस्थापित बामसेफ एवं डी.एस 4 के कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सा लेना आरम्भ किया। 14 अप्रैल 1984 में बी.एस.पी. का गठन हुआ मायावती अध्यापन कार्य से त्यागपत्र देकर इस दल की महासचिव नियुक्त हुई। वह इस पार्टी के टिकट पर 1984 से 1987 तक कई लोक सभा चुनाव लडी परन्तु वह जीत नही पाई 1989 में वह बिजनौर सीट से पहली बार ल6ोकसभा चुनाव जीति। एक बार पुनः केन्द्र की राजनीति करने के उद्देश्य से अपने दल के बलबूते 1994 में राज्यसभा में निर्वाचित हुई। 1993–1994 में सपा–बसपा की साझा सरकार में कांशीराम ने उन्हे मुख्यमन्त्री के मासिक कार्यो की समीक्षा के लिए अधिकृत किया। जून 1995 में सपा–बसपा का राजनीतिक संबंध विछेद हो गयां फलस्वरुप जून 1995 में बी0जे0पी0 के समर्थन से मायावती देश के सबसे बडे राज्य की मुख्यमन्त्री बनी। 1996 में दूसरी बार और 2002 में तीसरी बार मुख्यमन्त्री बनी।[16]

मायावती ने चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री के रुप मे लखनऊ के राजभवन मे 13 मई 2007 को 1 बजकर 40 मिनट पर शपथ ग्रहण की थी।[17]

दलित वर्गों के लोग भारत की राजनीति मे सहभागिता में आज बड़े–बड़े पदों पर विराजमान है। अनेंकों नाम ऐसे है जिन्हे गिना भी नहीं गया है। भारत के संविधान में ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि दलित वर्गों की सहभागिता राजनीति मे उचित बनी रहे। भारत के संविधान में राजनैतिक आरक्षण देकर भारत के प्रत्येक राज्य से लोकसभा की सीटों को आरक्षित करके संसद में दलित वर्गो के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है और साथ ही साथ ऐसी भी व्यवस्था कि गई है। भारत देश के प्रत्येक राज्य की विधान सभा मे दलित वर्ग अपनी सहभागिता निभाता रहे। उपर्युक्त नाम तो उदाहरण मात्र देखे जा सकते हैं। इन सभी दलित नेता के अलावा भारत की राजनीति मे सहभागी बनने वाले हजारो दलित नाम है।

आज देश के हजारो नाम ऐसे है जो दलित वर्गों से आकर केन्द्र की राजनीति में सहभागिता कर रहे है और राज्यों की विधान सभाओं में भी सहभागी है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य मे एस.सी./एस.टी. के लिए जनसंख्या के अनुसार में सीटे आरक्षित की जाती है। जिससे एस.सी./एस.टी. वर्गों के लोग सरकार में प्रतिनिधित्व करते है। डा0 अम्बेडकर से लेकर वर्तमान में मायावती तक सभी नेता दलित, दलित राजनीति की पहचान बन चुके है और बड़े बडे पदो पर राजनीति में विराजमान है।

सन्दर्भीत ग्रन्थ

1. ***मानवतावादी काशीराम (अशोक गजभिये)***
   सुयोग्य प्रकाशन, सन्तोषी दर्शन अपार्टमैन्ट, फ्लैट 108, पूने लिक रोड़, विजय नगर कल्याण (पूर्व) थाणे महाराष्ट्र 15 मार्च 2007 ***03***
2. ***मानवता वादी कांशीराम (अशोक गजभिये)***
   *सुयोग्य प्रकाशन, सन्तोषी दर्शन अपार्टमैन्ट, फ्लैट 108, पूने लिक रोड़, विजय नगर कल्याण (पूर्व) थाणे महाराष्ट्र15 मार्च 2007****05–07***
3. ***आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन***
   (आर. चन्द्रा, कन्हैयालाल चंचरीक) *यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 7/31, अंसारी रोड़, दरियागज, नई दिल्ली 1100022003* ***22–24***
4. ***भारत का संविधान***
   सैन्ट्ररल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद
   भाग 9 अनुच्छेद 43डी107, दारभंगा कालोनी, इलाहाबाद–2 ***112***
5. ***भारत का संविधान***
   सैन्ट्ररल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद
   भाग 16 अनुच्छेद 330107, दारभंगा कालोनी, इलाहाबाद–2 ***177***
6. ***आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन***
   (आर. चन्द्रा, कन्हैयालाल चंचरीक) *यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन,*

7/31, अंसारी रोड़, दरियागज, नई दिल्ली 1100022003 ***98–99***

7. ***आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन***
(आर. चन्द्रा, कन्हैयालाल चंचरीक) *यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन,*
7/31, अंसारी रोड़, दरियागज, नई दिल्ली 1100022003 ***290***

8. ***आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन***
(आर. चन्द्रा, कन्हैयालाल चंचरीक) *यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन,*
7/31, अंसारी रोड़, दरियागज, नई दिल्ली 1100022003 ***311***

9. *http://en.wikipedia.org/wiki/Jagjivan Ram*
01–02

10. *http://en.wikipedia.org/wiki/K.R.Narayanan*
01-02

11. *http://en.wikipedia.org/wiki/MeeraKumar 01*

12. *http://en.wikipedia.org/wiki*
Ram_Vilas_Paswan 01-03

13. *http://en.wikipedia.org/wiki/Sibbu Soren*
01

14. *http://en.wikipedia.org/wiki/Ajit Jogi*
01

15. *http://en.wikipedia.org/Wiki/G.M.C.*
Balayogi 01

16. ***आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन***
(आर. चन्द्रा, कन्हैयालाल चंचरीक) *यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन,*
7/31, अंसारी रोड़, दरियागज, नई दिल्ली 110002 ***371.373***

17. *http://en.wikipedia.org/Wiki/Mayawati 02*